



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1271]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 2019/चैत्र 2, 1941

No. 1271]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 2019/CHAITRA 2, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2019

का.आ. 1419(अ).—स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 564(अ), तारीख 31 जनवरी, 2019 द्वारा विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है;

और इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को एक विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, अधिसूचना संख्या का.आ. 931(अ) तारीख 21 फरवरी, 2019 द्वारा न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया गया था;

और जमात-ए-इस्लामी (जेइआई), जम्मू-कश्मीर को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1069(अ) तारीख 28 फरवरी, 2019 द्वारा विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन लिए कि क्या जमात-ए-इस्लामी (जेइआई) जम्मू-कश्मीर को एक विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, अधिसूचना संख्या का.आ. 931(अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 द्वारा गठित न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 14017/8/2019-एनआई-III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2019

S.O. 1419(E).—Whereas the Students Islamic Movement of India (SIMI) has been declared as an unlawful association, *vide*, notification number S.O. 564 (E), dated the 31st January, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

And whereas, an Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Ms. Justice Mukta Gupta, High Court of Delhi was constituted, *vide*, notification number S.O. 931(E), dated the 21st February, 2019 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Students Islamic Movement of India as an unlawful association;

And whereas the Jamaat-e-Islami (JeI), Jammu and Kashmir has been declared as an unlawful association, *vide*, notification number S.O. 1069(E), dated the 28th February, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Ms. Justice Mukta Gupta, High Court of Delhi, constituted, *vide*, notification number S.O. 931 (E), dated the 21st February, 2019, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Jamaat-e-Islami (JeI), Jammu and Kashmir as an unlawful association.

[F. No. 14017/8/2019 – NI –III]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.